>

Title : Alleged misuse of Prevention of Atrocities on SC and ST Act in the Country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व और अविलम्बनीय के तात्कालिक प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुज्ञा प्रदान की है। इसी सम्मानित सदन से भारत के सुदूर गांव में रहने वाले आम अनुसूचित जाति, जनजाति लोगों के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसकी रक्षा के लिए, उस अत्याचार निवारण के लिए प्रिवैंशन ऑफ ऐट्रॉसिटीज़ आन शैडयूल्ड कास्ट्स एंड शैडयूल्ड ट्राइब्स एक्ट बना। उस समय के विधेयक बनाने वाले लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारत के गांव में रहने वाले किसी गरीब, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ यदि कोई अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है तो यह कानून उसके हितों की रक्षा करेगा। लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, स्वंय किसी राज्य की मुख्य मंत्री इस एक्ट का दुरुपयोग करें, जिस मुख्य मंत्री से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वे राज्य के लोगों की रक्षा करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी जी के खिलाफ जिस तरह एससी, एसटी एक्ट का मुक्दमा लगाया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी आज देश में सर्वत्र निन्दा हो रही है। संविधान की शपथ लेने वाले, जिस तरह की घटना घटित हुई है, आज उनके ऊपर आईपीसी की धारा अंडर सैक्शन 153 (ए) - प्रमोटिंग एनीमिटी बिटवीन ग्रुप्स, आईपीसी की धारा 509 - इनसल्टिंग ए वूमैन सैक्शन 3 (ए), फिर 10 एससी, एसटी प्रिवैंशन ऑफ ऐट्रासिटीज़ एक्ट, इतनी गंभीर गैर-जमानती धाराएं हैं। कारण है कि उन्होंने कोई टिप्पणी की। उन्होंने टिप्पणी के लिए खेद भी प्रकट कर दिया। आपने देखा है कि सार्वजनिक जीवन में किस तरह की टिप्पणियां होती हैं, प्रधान मंत्री के ऊपर टिप्पणी होती है, सोनिया जी के ऊपर टिप्पणी हुई। गंभीर टिप्पणियां होती हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में टिप्पणियों पर कभी कोई मुक्दमा लिखने की बात नहीं होती। शायद पहली बार नई परम्परा शुरू हो रही है कि यदि सार्वजनिक जीवन में कहीं कोई टिप्पणी हुई, तो उस टिप्पणी पर सत्ता में रहते हुए इस तरह के मुक्दमे कायम किए गए। उस टिप्पणी पर उन्हें रात के दो बजे दिल्ली आते समय गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ सचिवालय एनैक्सी और मुख्य मंत्री निवास के पास हाई सिक्युरिटी ज़ोन में उनका घर था। पुलिस वहां मूक्दर्शक के रूप में खड़ी रही और उनके घर को जला दिया गया, चार गाड़ियां जला दी गईं। जिन लोगों ने उनका घर जलाया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग थे, ...(व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जेल में हैं। अगर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से हो जाए। वे बहुत सी जांच सीबीआई के लिए भेजती हैं। यह जांच भी सीबीआई से हो जाए। अगर कोई सत्ता का दुरुपयोग इस तरह कर रहा है, संविधान का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे एक क्षण भी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। उन्होंने आरोप लगा दिया। वे जिसके ऊपर चाहें आरोप लगा देती हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Now, nothing will go on record. Shrimati Jayaprada, you can start speaking.

*(Interruptions) â€¦ **

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Thank you very much, Sir. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Madam, you can start speaking. Nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

श्रीमती जयाप्रदा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से बिजली कटौती में सुधार हेतु ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: An hon. Member can speak only for three minutes or so while making submissions during Special Mention, and the Member cannot make a complete speech.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have already mentioned everything based on the notice that you have given here.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : It is not allowed. Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

श्रीमती जयाप्रदा : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बिजली कटौती में सुधार हेतु कहना चाहती हूं। ...(व्यवधान) सर, मैं क्या करूं? ...(व्यवधान)

* Not recorded

MR. CHAIRMAN: You cannot make a lengthy speech. You have expressed your views. Madam, please start your speech. Otherwise, I will have to adjourn the House.